संख्या– 2271 / 60-1-11-1 / 13 (40) / 11

प्रेषक,

सदाकान्त,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–1 लखनऊ: दिनांक 05 अगस्त, 2011

विषय:– जनहित याचिका संख्या–38949 / 2011 में मा0 उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 13.07.11 तथा मा0 न्यायमूर्ति (श्री अमरसरन) द्वारा जनपद गोरखपुर एवं फैजाबाद के सम्प्रेक्षण गृहों के निरीक्षण के उपरान्त की गई संस्तुति दिनांक 12.07.11 के कम में दिनांक 26.07.11 को मा0 मुख्य न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा प्रदेश के अन्य अधिकारियों के साथ सम्पन्न बैठक के संबंध में।

महोदय,

विषयगत प्रकरण में मा0 मुख्य न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा प्रदेश के अन्य अधिकारियों के साथ सम्पन्न बैठक दिनांक 26.07.11 तथा मा0 न्यायमूर्ति (श्री अमरसरन) द्वारा प्रेषित संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया समप्रेक्षण गृहों में निरूद्ध बालकों के संबंध में निम्नानुसार अविलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें:–

(1) नवीन सम्प्रेक्षण गृहों की स्थापना के दृष्टिगत पूर्व में झांसी, चित्रकूट एवं मिर्जापुर में सम्प्रेक्षण गृह संचालन हेतु स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उक्त का संचालन किराये का भवन न मिलने तथा आवश्यक संख्या में कर्मचारियों की तैनाती न होने के कारण नही हो पा रहा है। संबंधित जनपदों से उपयुक्त भवन का प्रस्ताव प्राप्त करने तथा जिन गृहों मे मानक से अधिक कर्मचारी तैनात हैं, की तैनाती झांसी चित्रकूट एवं मिर्जापुर जनपदों में किये जाने हेतु शीघ्र प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जनपद फैजाबाद एवं आगरा जनपद के किराये के भवन में परिवर्तन की आवश्यकता है और संबंधित जिला प्रोबेशन अधिकारी से नवीन किराये का भवन, जिसमें पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो, का प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु अविलम्ब कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(2) प्रत्येक बच्चे के लिए प्रति माह भोजन की व्यवस्था के लिए 1200/– रू0 प्रति माह की दर को बढ़ाये जाने के संबंध में कृपया यह देख लें कि संबंधित अधिनियम में यह व्यवस्था दी गई है कि बच्चों को दिन में 02 बार भोजन तथा 02 बार नाश्ता दिया जायेगा, क्या–क्या कैलोरी और उसकी कितनी मात्रा होगी, इसका भी उल्लेख है। बाल विकास पुष्टाहार, निदेशालय में न्यूट्रीशियन तैनात हैं। अतः बाल विकास पुष्टाहार, निदेशालय में तैनात न्यूट्रीशियन से यह अध्ययन करा लें कि जे0जे0 बोर्ड के रूल्स के अन्तर्गत कौन–कौन से नाश्ते व खाने में कितनी मात्रा होगी, उसके पश्चात् इस संबंध में सर्वेक्षण करके अपना सुस्पष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(3) सम्प्रेक्षण गृहों में निरूद्ध बच्चों की शिक्षा के संबंध में 'प्रथम' नामक संस्था से सम्पर्क करके इस व्यवस्था को सुधारने के लिएग सम्भावनाएं तलाशें तथा बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 02 शिक्षक उपलब्ध कराये जाने संबंधी आदेश के कियान्वयन का परीक्षण कर अविलम्ब आख्या उपलब्ध करायें।

(4) राज्य बाल संरक्षण समिति की प्रबन्धकारिणी द्वारा की गई प्रथम बैठक में प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संगठनों की एक उप समिति बनाने का निर्णय लिया गया था, जिसके दृष्टिगत यूनीसेफ, चाइल्ड लाइन, आंगन ट्रस्ट, प्लान इण्डिया, काई, सक्षम फाउण्डेशन एवं प्रथम संस्था की बैठक बुलाकर किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संचालित संस्थाओं में अपेक्षित सहयोग की सम्भावनाओं पर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

(5) जघन्य अपराधों में आरोपित किशोरों के लिए किशोर न्याय अधिनियम की धारा 16 (1) के अन्तर्गत सुरक्षित स्थान की व्यवस्था के लिए नई मांग का आंगणन सहित प्रस्ताव प्रेषित करें।

(6) अपराध में आरोपित किशोरों की सामाजिक अन्वेषण आख्या तैयार करने में समाजसेवियों और स्वैच्छिक संस्थाओं को सम्मिलित करने का भी प्रयास किया जाए। इसके लिए सामाजिक अन्वेषण आख्या तैयार करने के समय प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित कर दें कि वह इस कार्य में संबंधित जनपद में कार्यरत् एन0जी0ओ0 और समाज सेवियों का उचित सहयोग लें तथा जनपद में गठित किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति द्वारा मांगी गई आख्या समय से प्रस्तुत करें।

(7) सम्प्रेक्षण गृह में निरूद्ध किशोरों द्वारा भोजन बनाने तथा संस्था की सफाई का कार्य करने पर मा0 न्यायमूर्ति ने चिन्ता व्यक्त की है, जिसके दृष्टिगत पूर्व में शासनादेश संख्या—4495/60—1—10—1/16 (147)/95, दिनांक 17.01.2011 के द्वारा सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से अंशकालिक स्वच्छकार (हेल्पर) एवं रसोईया की सेवायें लेने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है। समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत अंशकालिक स्वच्छकार (हेल्पर) एवं रसोईया के लिए प्राविधानित मानदेय दर के आधार पर उक्त व्यवस्था समस्त संस्थाओं में अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

कृपया उपर्युक्त बिन्दुओं पर प्राथमिकता के आधार पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सदाकान्त)
प्रमुख सचिव।

संख्या— 2271 (1)/60—1—11, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी/प्रोबेशन अधिकारी, उ0प्र0 को निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(भावना श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।